



ब्रह्मवर्त डिग्री कालेज

स्थापना वर्ष : 1970

मन्धना, कानपुर - 209 217

(छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से स्थायी सम्बन्धता प्राप्त)
(यू०जी०सी० अधिनियम 1956 को धारा 2(f) और 12(B) के तहत अनुमोदित संस्थान)

फोन : 0512-2780372 • फैक्स : 0512-2780828 • ई-मेल : bvpg.mandhana@yahoo.in • वेबसाइट : www.bvpgc.co.in

पत्रांक : 15/2026-27

दिनांक : 19-05-2026

कार्यालय आदेश

(ग्रीष्मावकाश के सम्बन्ध में)

कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज वि०वि० के कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या सी०एस०जे०एम०वि०वि०/R.Camp/484/2026 दिनांकित 18/05/2026 के आदेशानुसार महाविद्यालय में दिनांक 20/05/2026 से दिनांक 05/07/2026 तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया जाता है। उपरोक्त ग्रीष्मावकाश निम्न शर्तों के अधीन होगा।

- 1- वि०वि० द्वारा निर्धारित परीक्षा में ड्यूटी हेतु शिक्षक/शिक्षिका को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा अन्यथा की स्थिति में कानपुर वि०वि० प्रथम परिनियमावली में विहित व्यवस्था अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 2- प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाएँ चलती रहेगी एवं ससमय अंक अपलोड किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में शिक्षक जिम्मेदार होंगे एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 3- प्रवेश से सम्बन्धित कार्यों हेतु प्रवेश प्रभारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना और प्रवेश प्रभारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होना होगा।
- 4- कोई भी शिक्षक/शिक्षिका बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा/ छोड़ेगी।
- 5- सभी शिक्षक/शिक्षिकाएँ अपने मोबाइल किसी भी परिस्थिति में बन्द नहीं करेंगे और महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
- 6- ग्रीष्मावकाश में जो शिक्षक/शिक्षिका महाविद्यालय में प्रवेश कार्य हेतु आयेगे सिर्फ वो ही उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर करेंगे। ग्रीष्मावकाश में सिर्फ परीक्षा ड्यूटी पर आने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर नहीं करने है वो सिर्फ परीक्षा ड्यूटी रजिस्टर पर ही हस्ताक्षर करेंगे।
- 7- विशेष परिस्थितियों में ग्रीष्मावकाश कभी भी समाप्त घोषित किया जा सकता है।



ब्रह्मवर्त डिग्री कालेज

मन्धना, कानपुर - 209 217

स्थापना वर्ष : 1970

(छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त)
(यू० जी० सी० अधिनियम 1956 को धारा 2(f) और 12(B) के तहत अनुमोदित संस्थान)

फोन : 0512-2780372 • फैक्स : 0512-2780828 • ई-मेल : bvpg.mandhana@yahoo.in • वेबसाइट : www.bvpgc.co.in

पत्रांक :

दिनांक : 19-5-2026

8- ग्रीष्मावकाश में किये गये कार्य के सम्बन्ध में-

महाविद्यालय का कार्य दिवस 06 घण्टों का है(10:00am to 4:00pm) अतः ग्रीष्मावकाश में किये गये कार्य हेतु अवकाश की गणना उपरोक्त कार्य अवधि को ध्यान में रखकर उ0प्र0 सरकार के शासनादेश -1190/सत्तर-1-2018-16(114)/2010 दिनांकित 15 अक्टूबर 2019 में विहित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

- जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं के सत्र 2025-2026 में अवकाश खाते में अवकाश शेष न होने पर भी इस प्रत्याशाँ में अवकाश स्वीकृत किये गये हैं कि ग्रीष्मावकाश में कार्य करने के फलस्वरूप देय अवकाशों से अवकाश समायोजित कर लिये जायेगे।

9- प्रवेश प्रक्रिया को अधिक गतिशील करने हेतु महाविद्यालय 01 जुलाई 2026 से विधिवत खोला जायेगा। 01 जुलाई, 2026 से 05 जुलाई, 2026 तक के ग्रीष्मावकाश में किये गये कार्य को (इन 05 कार्य दिवसों को) दीपावली/दशहरा/होली/जन्माष्टमी इत्यादि बड़े पर्वों के अवकाशों के साथ समायोजित किया जायेगा।

Dubey
प्राचार्य 19/05/26